# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश कुमार चौधरी ( आर. ए. एस. )
राजस्व प्रकरण संख्या :– 191/2012

**उनवान**

रामदेव पुत्र उगमा जाति जाट निवासी ग्राम जसवन्तपुरा, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

**बनाम**

1. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :– जरिये राज0 पैरोकार

---

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

---

–: निर्णय :–  दिनांक :– 13.2.19

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 4388 रकबा 13–19–00 वादी को नियमन की गयी। उपरोक्त नियमन आदेश की पालना नामान्तरकरण संख्या 653 दिनांक 23.8.02 से वंर्किग जमाबंदी में की गयी। हाल राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 4873/1.70, 4876/0.31, 4877/0.38 को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया गया। अतः हाल खसरा नम्बर का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि नामान्तरकरण संख्या 653 दिनांक 23.8.02 से वंर्किग खसरा नम्बर 4388 रकबा 13–19–00 वादी के नाम होना स्वीकार है। वादी को वंर्किग खयरा नम्बर 4388 रकबा 13–19–00 अर्थात 2.26 है0 भूमि दी गयी थी। जबकि हाल खसरा नम्बर का रकबा 2.39 है0 है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयीं :–

1. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?
—— वादी

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में वादी रामदेव के बयान दर्ज करवाये राजस्व अभिलेख व नियमन आदेश पेश किया।

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद ( अजमेर )

Scanned by CamScanner

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे एवं साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी को राजस्थान भू राजस्व कृषि हेतु भू. आवंटन नियम 1970 के नियम 20 क के अन्तर्गत (जो अजमेर जिले के भू संशोधन से अवशेष प्रकरणों के निस्तारण के लिये जोडी गयी) नियमन की गयी। उक्त नियमन की पालना में तत्कालीन राजस्व अभिलेख में वादी का नाम खातेदार दर्ज किया गया। राज0 पैरोकार ने भी वंर्किग जमाबंदी के इन्द्राज को स्वीकार किया है। हाल राजस्व अभिलेख में बिना किसी आदेश व नामान्तकरण के उक्त भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गयी। वादी के नियमन को कोई चुतौती नही दी गयी है। अतः वाद स्वीकार किया जावे।

राज0 पैरोकार ने कथन किया कि नियमन की गयी भूमि व अनुतोष में चाही गयी भूमि का रकबा मिलान नही करता है। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक है अतः वाद खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

**तनकी संख्या 1 :-**

वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम लोहरवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 4388 रकबा 13-19-00 वादी रामदेव पुत्र उगमा को कैम्प ग्राम पंचायत लोहरवाडा में दिनांक 30.6.02 को नियमन हुयी वादी द्वारा प्रस्तुत नियमन आदेश दिनांक 16.7.02 अनुसार कलक्टर महोदय, अजमेर के पत्र कंमाक राजस्व/2002/3551-54 दिनांक 12.4.02 के निर्देशानुसार कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन एवं नियमन हेतु ग्राम व ग्राम पंचायत लोहरवाडा में निर्धारित दिनांक 30.6.02 को आवंटन समिति की बैठक में अतिक्रमण व नियमन के प्रकरणों का परीक्षण करके राजस्थान भू राजस्व कृषि हेतु भू. आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के अन्तर्गत (जो अजमेर जिले के भू संशोधन से अवशेष प्रकरणों के निस्तारण के लिये जोडी गयी) नियमन की सिफारिश करने से वादी को उक्त आराजी नियमन करने के आदेश अन्य व्यक्तियों के साथ जारी किये गये। व आदेश कंमाक 69 दिनांक 16.7.02 द्वारा उपखण्ड अधिकारी अजमेर व आवंटन प्रभारी प.स. श्रीनगर ने उक्त आदेश वादी के पक्ष में जारी किये। जिसकी क्रम संख्या 38 में वादी को आराजी मुतनाजा नियमन किये जाने के आदेश जारी है। एवं उपखण्ड अधिकारी अजमेर व आवंटन प्रभारी प.स. श्रीनगर ने अपने पत्र कंमाक राजस्व अभियान/02/321-25 दिनांक 16.7.02 द्वारा उक्त नियमन आदेश की पालना राजस्व अभिलेख में करने हेतु तहसीलदार नसीराबाद व पटवारी हल्का लोहरवाडा को लिखा है। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा वादी के पक्ष में आराजी मुतनाजा के नियमन का नामान्तरकरण संख्या 653 दिनांक 5.8.02 को भरा गया जो दिनांक 23.8.02 को स्वीकार किया गया। तत्कालीन वंर्किग जमाबंदी में उक्त नामान्तरकरण आदेश की पालना में वादी को आराजी मुतनाजा का खातेदार भी दर्ज कर दिया गया। वंर्किग खसरा नम्बर 4388 रकबा 13-19-00 के हाल खसरा नम्बर 4873 मिन रकबा 1.70, 4876 रकबा 0.31 व 4877 रकबा 0.38 बने है जो हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज कर दिये है। बंदोबस्त विभाग को पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही था। वादी को उक्त आराजी विशेष राजस्व अभियान में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश से नियमन की गयी थी। जिसकी राजस्व अभिलेख में नियमानुसार पालना की गयी। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में यह स्पष्ट नही किया है कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में किस कारण से वादी की खातेदारी में दर्ज नही की गयी। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होने के कारण वादी का वाद खारिज नही

--3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद ( अजमेर )

Scanned by CamScanner

किया जा सकता है जबकि उसके द्वारा उक्त आराजी के नियमन व तत्कालीन राजस्व अभिलेख में की गयी पालना के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय में पेश किये है। पत्रावली में ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नही है जिससे बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी वादी की खातेदारी में से हटायी है। उक्त नियमन आदेश के विरूद्व कोई 14 (4) की कार्यवाही नही हुयी है। वादी के पक्ष में किये गये उक्त नियमन को आज दिवस तक किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गयी है। साथ ही उक्त नियमन निरस्त होने का काई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी जो वादी को दिनांक 30.6.02 को नियमन की गयी का नियमन आज दिवस तक कायम है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक आंवटन/नियमन के निरस्त करने की कार्यवाही नही होती तथा सक्षम न्यायालय में आवंटन/नियमन को चुनौती नही दे दी जाती है तब तक आवंटन/नियमन बहाल रहता है। तहसीलदार नसीराबाद ने ऐसा कोई साक्ष्य व दस्तोवज पेश नही किया है कि वादी को हुये उक्त नियमन के विरूद्व कोई चाराजोही की गयी हो। जबकि न्यायालय द्वारा पत्र कंमाक/उखन/रीडर/18/8030 दिनांक 24.8.18 द्वारा इस हेतु पत्र भी जारी किया गया था। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादी उक्त आराजी पर खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती प्राप्त करने के अधिकारी है। वंर्किग खसरा नम्बर का रकबा 13–19–00 के हाल खसरा नम्बर 4873 मिन रकबा 1.57, 4876 रकबा 0.31 व 4877 रकबा 0.38 पर तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर 4873 मिन रकबा 1.57, 4876 रकबा 0.31 व 4877 रकबा 0.38 पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner

## डिक्री व मुकदमें इब्ताई
## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

### उनवान

रामदेव बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955, 136 भू राज. अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 191/2012
पेश करने की दिनांक – 13.8.12

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम लोहरवांडा के हाल खसरा नम्बर 4873 मिन रकबा 1.57, 4876 रकबा 0.31 व 4877 रकबा 0.38 पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

---

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 13 माह 02 सन् 2019 को जारी की गयी।

| मुद्दई | मुदायला |
|---|---|
| स्टाम्प अरजी दावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>मेहनताना वकील<br>फीस कमिश्नर<br>खर्चा गवाहान<br>बाबत् इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अरजी<br>मेहनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत् इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक |
| मिजान | मिजान |

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner